कार्यालय वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

पत्र संख्या 876 /12-1 दिनांक, नैनीताल, 16-12-2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत बजून फगुनियाखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.70 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

संदर्भः– प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल की पत्र संख्या–1575/12-1 दिनांक 02-12-2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में विषयांकित प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है–

क्र0 सं0	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1	बिन्दु संख्या 03 के अनुपालन में पूर्ण सूचना अपलोड नहीं की गयी है। मानचित्र में भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कोर्डिनेटस अंकित नहीं किये गये हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है,कि पूर्ण सूचना अंकित कर मानचित्र अपलोड कर दिया गया है।
2	बिन्दु संख्या 05 के अनुपालन में फॉर्म ए के पैरा–जे में टिप्पणी दी जानी अपेक्षित है।	प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है बिन्दु संख्या 05 के अनुपालन में फॉर्म ए के पैरा 9 में टिप्पणी अंकित कर अपलोड कर दिया गया है।
3	बिन्दु संख्या 06 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के उपयुक्तता प्रमाण पत्र में अभी भी प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम अंकित नहीं किया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि बिन्दु संख्या 06 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कर स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र में क्षेत्र का नाम अंकित कर पुनः अपलोड कर दिया गया है।
4	बिन्दु संख्या–07 के अनुपालन में स्पष्ट टिप्पणी दी जानी अपेक्षित है।	प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि बिन्दु संख्या–07 के अनुपालन में IRC 5-2019 के अनुसार ग्रामीण मार्गो का निर्माण मोड़ों में 6&0 मी0 एवं अन्य स्थानों में अधिकतम 6 मीटर चौडाई में किया जाता है।
5	बिन्दु संख्या–09 के अनुपालन में कार्य प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का Duly authenticate certificate उपलब्ध कराया जाना है।	कार्य प्रारम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

6	बिन्दु संख्या–11 के अनुपालन में प्रेषित की गयी क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना ऑनलाईन अपलोड नही की गयी है।	प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
7	बिन्दु संख्या–12 के अनुपालन में ऑनलाइन पार्ट–2 में सभी वांछित प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों को अच्छी तरह से स्कैन कर अपलोड. करने का कष्ट करें।	वांछित प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों को स्कैन कर अपलोड कर दिया गया है।
8	उपरोक्त के अतिरिक्त उपरोक्तानुसार ऑनलाईन अपलोड की गयी समस्त सूचनायें हार्ड प्रति में भी उपलब्ध करायी जानी है।	अपलोड की गयी सूचनायें हार्डप्रति में भी संलग्न हैं।

भवदीय,

(पी०के० पात्रो)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

पत्रांक 876 / **दिनांकित।**

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(पी०के० पात्रो)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

o/c